न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 04 / 24

GCMS NO-2024/ 17 सन् 2024

बउनवानी:–1. दीपिका पुत्री रूपनारायण माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. विमला पुत्री रूपनारायण माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. जानकी पुत्री रूपनारायण माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
4. उर्मिला पुत्री रूपनारायण माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
5. सीताराम पुत्र रूपनारायण माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर
6. लल्लू पुत्र रूपनारायण माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 93 दिनांक 25.4.2011 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:– 1. जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्टगण
2. श्री तोफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 18.12.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 93 दिनांक 25.4.2011 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज रूपनारायण के स्थान पर श्रीनारायण दर्ज कर दिया। अपीलान्ट संख्या एक का नाम विवादग्रस्त नामा0 मे दीपिका के स्थान पर धापा एवं विमला के स्थान पर मल्लू दर्ज कर दिया एवं हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से सम्वत् 2078 के खाता संख्या 39 मे अपीलान्ट दीपिका का नाम धापा दर्ज कर रखा है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम आधार काड मे दीपिका एवं अपीलान्ट संख्या 2 का नाम विमला दर्ज है। नामा0 संख्या 93 मे गलत नाम दर्ज होने के कारण अपीलान्ट को शर्म भी महसूस होती है इसलिए वास्तविक नाम के आधार पर दुरूस्ती किये जाने की हद तक अपील स्वीकार की जावे। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट संख्या 3 लगायत 5 अपीलान्ट के खास सगे भाई व बहिन होने के कारण अपीलान्टगणों के साथ माननीय मे अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट संख्या 3 लगायत 6 के नाम मे किसी प्रकार की त्रुटि नही है मात्र पिता के नाम मे हो रही गलती के कारण अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक रूपनारायण के विधिक वारिसानों की वास्तविक नाम

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

की जॉच नही की गयी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता के नाम मे हो रही उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु दरूस्ती इन्द्राज हेतु उपजिला कलेक्टर न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.1.2024 को जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई । अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद गय दफा--5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया।

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील श्रीनारायण पुत्र घीस्या माली की विरासत का दर्ज फैसल हुआ है, जबकि अपीलान्ट का पिता का नाम रूपनारायण बताया गया है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड इत्यादि में अपीलान्ट के पिता का रूपनारायण माली है। अपीलान्ट द्वारा अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र रूपनारायण पुत्र घासी लाल माली के नाम से बनाया गया है जिसके आधार पर श्रीनारायण पुत्र घीस्या माली की विरासत का नामा0 आदेश जैर अपील खोला गया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील श्रीनारायण की विरासत का खोला गया है जबकि अपीलान्ट अपने पिता का नाम रूपनारायण बता रहे है। इस प्रकार आदेश जैर अपील मे एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मे अपीलान्ट के पिता का नाम पृथक–पृथक होने के कारण प्रकरण मे कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि श्रीनारायण एवं रूपनारायण एक ही व्यक्ति है। आदेश जैर अपील श्रीनारायण की विरासत का खोला गया है तथा अपीलान्ट रूपानारायण के वारिस है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 93 दिनांक 25.4.2011 श्रीनारायण पुत्र घीस्या माली की विरासत का खोला गया है जिसमे अपीलान्ट संख्या एक व दो का नाम गलत होना बताया गया है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट के पिता का नाम रूपनारायण है। इस प्रकार अपीलान्ट के पिता के नाम मे विरोधाभास है तथा अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि श्रीनारायण एवं रूपनारायण एक ही व्यक्ति है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में वाद दायर का अनुतोष प्राप्त कर सकते है । पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner